



घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के विकास की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन : सतना जिले के विशेष संदर्भ में

श्रीमती महिमा शुक्ला¹, डॉ. आर.के. शर्मा²

¹शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

²प्राचार्य, इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.)

सारांश –

कुटीर क्षेत्र को रोजगार सृजन की विशाल क्षमता के लिए महत्व दिया जाता है। हालाँकि, समय के साथ इस व्यवसाय में रोजगार में वृद्धि हुई है, लोगों की आय में गिरावट आई है क्योंकि बिचौलिए खरीदारों से पैसे का बड़ा हिस्सा लेते हुए निर्माताओं को कम दर प्रदान करते हैं। लेकिन यह सिर्फ बिचौलियों और डीलरों को दोष नहीं देना है। कुटीर उद्योग की वर्तमान स्थिति भी परिवर्तित विदेश नीतियों और वैश्वीकरण के कारण है।



मुख्य शब्द – रोजगार, वैश्वीकरण, घरेलू एवं कुटीर उद्योग।

प्रस्तावना –

भारत में कुटीर उद्योगों को पूँजी की कमी और श्रम की एक बड़ी आपूर्ति का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें पूँजी-बचत उपायों में निवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसी रणनीतियों को नियोजित करने की अत्यधिक आवश्यकता है जो न केवल उत्पादन में वृद्धि करें बल्कि मजदूरों की क्षमताओं का विस्तार करें और स्थानीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप हों। प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए ताकि श्रमिक आराम से रह सकें।

कुटीर उद्योगों को फलने-फूलने में मदद करने के लिए सरकार सहायक कंपनियों की पेशकश भी कर सकती है, खासकर उनके शुरुआती दौर में। कुटीर उद्योग के मजदूर अक्सर अपने संचालन के हर चरण में बाधाओं के खिलाफ खुद को पाते हैं, चाहे वह कच्चा माल खरीदना हो या अपने माल का विपणन करना, धन हासिल करना या बीमा कवरेज प्राप्त करना हो।

पावरलूम हमेशा हथकरघा बुनकरों के लिए खतरा बने रहते हैं। इन कर्मचारियों ने अपना पूरा जीवन बुनाई और सुई के काम के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास विशेषज्ञता का एक बेजोड़ स्तर है। हालाँकि, वे अभी भी उसी क्षेत्र में हैं जहाँ उन्होंने वर्षों पहले शुरू किया था। एक उद्योग जो हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देता है, उसकी हालत इतनी खराब है। हथकरघा क्षेत्र में लगभग 4 मिलियन व्यक्तियों को नियोजित करने के साथ, यह स्थिति उन कठिनाइयों को प्रदर्शित करती है जिनका इन लोगों को सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि इस पेशे में कार्यरत लगभग आधे लोग गरीबी में रहते हैं। इसके अलावा, 2017 की जनगणना के अनुसार, इन लोगों की औसत वार्षिक घरेलू आय मुश्किल से 41,068 रुपये है और, जनसंख्या के इस वर्ग में विशाल परिवार के आकार को देखते हुए, प्रति व्यक्ति आय शायद ही जीने के लिए पर्याप्त है।

विश्लेषण –

घरेलू एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादन प्रणाली परम्परागत होने की वजह से सामग्रियों का उत्पादन परिष्कृत नहीं है, क्योंकि सतना जिले के घरेलू एवं कुटीर उद्योग सामान्यतः जातिगत हैं। इनके फलस्वरूप ऐसे उद्योगों से उत्पादित सामान उत्तम गुणों की उच्च कीमत पर निर्माण किया जाता है। जिले में व्यापक उद्योग के भांति ही घरेलू एवं कुटीर उद्योग भी स्वतंत्र अस्तित्व में रहकर उत्पादन प्रक्रियायें कर रहे हैं, जिससे दोनों तरह के उद्योगों में न सिर्फ बाजारी प्रतिस्पर्धा विपणन के समय उत्पन्न होती है, अपितु अनेक सामाजिक समस्यायें इन उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सतना जिले के घरेलू एवं कुटीर उद्योगों का उत्पादन हमेश अप्रमाणित रहता है, जिससे उन्नत किस्म समरूप वर्गीकृत सामग्रियों की कमी है, जिससे उद्यम के श्रमिक, कारीगर और स्वामी उचित पारिश्रमिक प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। जिले के घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के विकास की कई सामाजिक समस्याएं हैं, जो इस प्रकार हैं –

● शक्तिकरण की समस्या –

सतना जिले का औद्योगिक वातावरण कुछ ऐसा है कि जैसे ही व्यक्ति अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने का विचार करता है उसे बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में कठिन संघर्ष कर आगे बढ़ना होता है। अपना प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के साथ ही उसकी समस्याएं प्रारंभ हो जाती है, जैसे – उपयुक्त स्थान चयन, बाजार सर्वेक्षण के लिए आंकड़ों का संग्रहण, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन तकनीक की जानकारी, प्रतिस्पर्धात्मक दर पर वित्त की प्राप्ति आदि। एक बड़ा पूँजीपति सलाहकारों की सेवा प्राप्त कर, प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन बनवा सकता है। इस सेवा के लिए मोटी फीस सलाहकारों के देने की हैसियत वह रखता है, किंतु एक छोटे उद्योगपति को इन सबके लिए सामान्यतः स्वयं पर निर्भर रहना होता है, जिससे वह प्रारंभ में ही पिछड़ जाता है।

● पंजीयन की समस्या –

अगली समस्या लघु उद्यमियों का सामना होता है, वह है उद्योग विभाग तथा स्थानीय सत्ता से उद्योग का लायसेंस प्राप्त करना। इस कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारियों का सहयोगात्मक रूख न होने से उद्यमी के मार्ग में अनेक अवरोध खड़े हो जाते हैं। अनेक बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई सुविधाओं, नीति-निर्देशों की जानकारी तक इन अधिकारियों/कर्मचारियों को नहीं होती। इनके द्वारा टाल-मटोल करने से उद्यमी की समस्या सुलझाने के स्थान पर लालफीताशाही में और भी उलझ जाती है। यदि उत्पादन कार्य में लगने वाली मशीनरी या कच्चा माल आयात किया जाता है, तब तो उचित लाइसेंस पाने हेतु सुनिश्चित आयात की जाने वाली समस्त क्रिया से इसे बार-बार गुजरना होता है, क्योंकि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति व्यापक तेज गति से परिवर्तन होता रहता है। इंस्पेक्टर राज की स्थापना और विचौलियों ने इस सम्पूर्ण व्यवस्था को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेल दिया है। ऐसी व्यवस्था में व्यापक पूँजीपति अथवा उच्च राजनीति के पहुंच वाले व्यक्ति तो सफलता के साथ उबर जाते हैं। बाकी हेतु यह संघर्ष टेढ़ी खीर साबित होता है।

● तकनीकी सुविधाओं का कमी –

सतना जिले की घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के विकास में एक और सामाजिक समस्या जिसने इसे विकलांग बना रखा है। वह इन उद्योगों में आधुनिक तकनीक की अनुपस्थिति है। आधुनिक तकनीक को अपनाए जाने से ही अच्छी किस्म, उत्पादन की उच्च कीमत और लागतों में कमी संभव है। कड़ी प्रतियोगिता में टिके रहने हेतु यह भी जरूरी है कि नये तकनीक के लाभ उपभोक्ता तक पहुंच पाये। इसके हेतु शोध और विकास के कार्य लगातार करना होगा। व्यक्ति की स्वयं की बौद्धिक क्षमता और उपलब्ध ज्ञान के परिमार्जन से नवीन विचारों का निर्माण हो सकता है। विकासोन्मुख और नवाचार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में घरेलू एवं कुटीर उद्यमी अभी काफी पिछड़े हुये हैं।

● श्रम की समस्याएं –

औद्योगिक उत्पादन में श्रमिकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। उत्पादन के साधनों में यही एक ऐसा साधन है जिससे अगर मानवीय व्यवहार नहीं किया गया तो उद्यमी को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सम्पूर्ण प्रकार से सजग है। उद्यमी को श्रम कानूनों की अद्यतन जानकारी होना जरूरी है। ट्रेड यूनियन के राजनीतिकरण से भी उद्यमी की समस्या बड़ी है। इसलिए उद्यमी के समक्ष इस गंभीर और कठिन चुनौती का सामना धैर्य और समझदारी के साथ करने और कानूनी व सामाजिक दबाव सदैव रहता है।

● प्रशासकीय और प्रबंधकीय समस्याएं –

एक क्षेत्र और है जहां घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के उद्यमियों को व्यापक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वह प्रशासकीय और प्रबंधकीय भाग है। किसी भी उद्यम की सफलता उसकी सुदृढ़ प्रशासकीय व्यवस्था और प्रबन्ध के चारुर्य पर आश्रित रहता है। एक सही प्रशासक अपनी शक्ति और कमियों को जानता है। वह अवसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है और चेतावनी का डटकर मुकाबला करने की सामर्थ्य एकत्र कर लेते हैं। उसके पास समस्याओं के निवारण करने की सुस्पष्ट रणनीति होती है। प्रशासकीय कार्यों को करने में प्रबंध सहयोग करता है। संगठन, नियोजन, नियंत्रण और समन्वय और सही समय पर उचित निर्णय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से उच्च परिणाम प्राप्त करने में उद्यमी को सफलता प्राप्त हो जाती है, जिन उद्यमियों के पास इन सब बातों का अच्छा ज्ञान होता है, उन्हें सफलता मिलने की संभावना भी काफी अच्छा होता है, परंतु सर्वाधिक उद्यमी इस प्रकार की क्षमता और कुशलता पाने में असमर्थ होता है। इनका दुष्परिणाम यह होता है कि इन उद्योगों में कई प्रशासकीय और प्रबंधकीय समस्याएं बनी रहती हैं।

आज जबकि भारतीय उद्योग संसार में अपनी सफलता का झण्डा गाढ़ रहे हैं तो लघु उद्यमियों को प्रोत्साहित और पल्लवित करना इस देश का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। गेम थ्योरी जैसे सिद्धान्तों ने यह सुस्पष्ट कर दिया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जायेगी। अतएव उद्यमी को मजबूती देने हेतु बेहतर वित्त की सुविधा और उद्यम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु उन्हें उचित प्रशासकीय और प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है ताकि सफलता को सुनिर्धारित हो सके।

● स्वामित्व की समस्या –

एक उद्यमी को उद्योग स्थापना से लेकर संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन करना पड़ता है। उनका सर्वाधिक समय उद्योग के कार्यान्वयन पर होता है। अनेक मौके पर व्यस्तता की वजह से उद्योग के स्वामित्व एवं प्रबन्धन पर समय-समय निकालना कठिन हो जाता है, फलस्वरूप व्यावसायिक विकास की संभावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यावसायिक इकाई के स्वामित्व में बदलाव की वजह मानसिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

● धार्मिक कारण –

उद्यमियों में धार्मिक समस्या भी एक बाधक तत्व है, जिनमें जाति धर्म के आधार पर अपने व्यवसाय को संचालन करना कठिन हो जाता है। धार्मिक समस्या के आधार पर औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए भी कुछ वर्ग कई उद्योगों की स्थापना करने पर जलन अथवा असम्मानित महसूस करती है, जो निम्नानुसार है –

- (1) **मछली पालन** – अधिकांशतः मछली पालन व्यवसाय भी समाज के सभी वर्गों के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाता, जबकि यह उद्यम काफी लाभ देने वाला और कई प्रकार के रोजगार मुहैया करने वाला है।
- (2) **मुर्गीपालन** – इस व्यवसाय को शुरू करने में समस्त वर्गों के व्यक्ति काफी संकोच करते हैं। अतः इस व्यवसाय का लाभ सर्वाधिक कम पढ़े-लिखे और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों द्वारा स्वीकार किया जाता है, जिससे वैज्ञानिक तरीके से इस उद्यम का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है।

(3) सुअर पालन – अधिकांशतः सुअर पालन घृणित उद्यम माना जाता है। सिर्फ अनुसूचित जाति के बसोर और कुम्हार व्यक्ति ही इसका व्यवसाय करते हैं जबकि यह व्यवसाय पर्याप्त लाभकारी और रोजगार देने वाला है।

(4) बीड़ी उद्योग – बीड़ी उद्योग तेंदू पत्ता पर आश्रित है, यह मजदूर वर्ग के नशा का सस्ता स्रोत है। इस उद्योग में बगैर पूँजी और मशीन के सम्पन्न किया जाता है। इस उद्योग में सर्वाधिक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति काम करते हैं। यह उद्योग रोजगार की दृष्टिकोण से महिलाओं को घर बैठे आमदनी के स्रोत है। अधिकांशतः उच्च वर्गों के माध्यम से बीड़ी निर्मित करना निम्न वर्ग का उद्योग माना जाता है।

(5) मिट्टी से सम्बन्धित उद्योग – मिट्टी से सम्बन्धित यह उद्योग कुम्हार जाति के व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है। इस तरह के व्यवसाय में पर्याप्त कलाकृतियाँ मिलती हैं। यह उद्यम शेष वर्गों हेतु अपमानि के रूप में दृष्टिगोचर होता है जबकि मिट्टी के बर्तन प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य हेतु उत्तम होता है।

(6) चर्म उद्योग – यह उद्यम चमड़े से निर्मित भिन्न-भिन्न तरह की सामग्री बहुत उपयोगी है तथा इसका निर्यात करके भी विदेशी मुद्रा प्राप्त किया जाता है, फिर भी यह उद्योग घृणित उद्योग मानी जाती है।

(7) मांस एवं अण्डा उद्योग – इस प्रकार के उद्यम खास जाति चिकवा एवं कसाई के माध्यम से किया जाता है। यह उद्योग लाभ की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मांस एवं अण्डा का उपयोग तकरीबन समाज के सर्वाधिक समुदायों द्वारा किया जाता है। रोजगार की दृष्टिकोण से समाज के अन्य वर्ग अपमानित व्यवसाय मानते हैं।

(8) बैंत बाँस उद्योग – यह उद्यम बसोर जाति के व्यक्तियों का मानी जाती है, अन्य समुदाय के व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानते हैं। यद्यपि बाँस की निर्मित भिन्न-भिन्नत तरह के बर्तन हमारे दैनिक उपयोग की सामग्रियों में पहली दर्जा प्राप्त किया हुआ है।

● रुढ़िवादी परम्परा –

घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु रुढ़िवादी परम्परा अत्यधिक घातक साबित हो रहा है। ग्रामीण उद्यमी रुढ़िवादिता और अंधविश्वास से ग्रसित हैं, जिनके फलस्वरूप उद्यमी स्वयं को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। यह उद्यमी अपनी पुरानी परम्पराओं में होने के कारण नवीन परिवेश से सम्पर्क व सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाते हैं। उद्यमियों में संस्कृति, मूल्य व आदर्शों की जड़े इतनी गहरी है कि वे नवीन ज्ञान-विज्ञान, आदर्शों एवं आधुनिकता को अपनाने मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। नवीन तकनीकी के प्रति वैचारित स्तर पर रुढ़िवादी समस्या को सरल मानते हैं जो उनकी अशिक्षा एवं अज्ञानता का परिणाम है, जिसके कारण वे उपेक्षित उद्यम में विकास कर पाने में पिछड़े हैं।

● ऋण के विरुद्ध जमानत की समस्या –

बैंक प्रायः सर्वों या सामान्य वर्गों को पूँजी दी जाती है, परंतु निम्न वर्ग तथा गरीब वर्ग को बैंक पूँजी नहीं देते हैं क्योंकि जमानत नहीं ले पाते हैं।

● प्रशिक्षण की कमी –

भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार बिल्कुल अनियोजित तरीके से हुआ है तथा इसका विस्तार करते समय भविष्य की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया। उद्यमी शिक्षा योजना भी इसी जल्दबाजी का शिकार हुई है। शिक्षण प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की सुनियोजित तरीकों को अपेक्षाकृत देर से अपनाया गया है अर्थात् समय के अनुसार प्रशिक्षण पर्याप्त रूप से नहीं दिया जाता है।

● योजनाओं की जानकारी का अभाव –

जिले में उद्यमियों के उद्यमिता विकास हेतु अनेक शासकीय योजनायें संचालित हैं, किंतु योजनाओं के क्रियान्वयन में कमी कहा जाय या इसका दुर्भाग्य जो इन घरेलू एवं कुटीर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में असफल साबित हुये हैं।

अशिक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा रही है, जबकि शासन द्वारा विभिन्न घरेलू एवं कुटीर योजनाओं का समय-समय पर प्रचार-प्रसार उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि सीमित प्रचार-प्रसार करके कर्तव्यों को इतिश्री मान लिया जाता है। परिणाम यह है कि उद्यमियों को वास्तविक योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है एवं कुछ चुने हुये उद्यमियों को भी इन योजनाओं की थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करके आवश्यक सूचनाएं प्रदर्शित कर दी जाती है वास्तविक एवं सुपात्र जरूरतमंद उद्यमी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।

● जागरूकता का अभाव –

घरेलू एवं कुटीर उद्योगों की उद्यमिता विकास में योगदान अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में जागरूकता में कमी है। उद्यमी वर्ग अपने हितों के प्रति चेतन नहीं है। चूंकि उद्यमी वर्ग सीधी सपाट उद्यम करने वाले सहनशील एवं थोड़ा बहुत आय प्राप्त कर लेने के कारण उनके द्वारा कोई प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया। शिक्षा व जागरूकता में कमी के कारण ये उद्यमी वर्ग शासकीय योजनाओं की जानकारी से अनभिज्ञ रहे और इन्हें जो थोड़ी बहुत सहायता मिली उन्हें ही पर्याप्त समझकर प्रतिवाद नहीं किये और इन उद्यमी वर्गों का शासकीय मशीनरी द्वारा निरंतर शोषण व गुमराह किया जाता रहा।

निष्कर्ष –

भारत के कुटीर उद्योग सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। वे एक साथ बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हुए प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करते हैं। चूंकि इन उद्योगों को अन्य अर्थव्यवस्थाओं से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, इसलिए समाज को शोषण को रोकने और उन्हें और विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमारे जैसे अधिक आबादी वाले देशों में बेरोजगारी के राक्षस का मुकाबला करने का एकमात्र उपाय कुटीर और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है। कुटीर उद्योग असंगठित हैं और लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। वे उपभोज्य सामान बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, ये उद्योग उन क्षेत्रों में उभरे हैं जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार आम हैं। इस तकनीक के परिणामस्वरूप, कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए श्रमिकों के एक बड़े हिस्से को अवशोषित करके अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाता है।

संदर्भ –

- सिन्हा, डॉ. वी.सी. – औद्योगिक अर्थशास्त्र, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2002
- सक्सेना, डॉ. आर.एन. – भारतीय समाज एवं संस्थाएं, किताब महल, वाराणसी, संस्करण 2002
- कुमार, प्रमिला – औद्योगिक भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, संस्करण 2005
- मध्यप्रदेश, सन्देश जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल
- Prof. V.C. Sinha and Dr. Puspa Sinha – Industrial Economics, Lok Bharati Prakashan, 15-A, Mahatma Gandhi Marg, Allahabad, year 1988